


प्रेषक,

रंजना राजगुरु,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।



श्री राजा / 50

अमराजी कर्मा

सेवा में,

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।

MBAN
ART
18.01.2024

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01

देहरादून: दिनांक: 11 जनवरी, 2024

विषय: प्रदेश के उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बस्ता रहित दिवसों के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण के पत्रांक SCERT/NEP/Bagless day/6118-19/2023-24, दिनांक 09.10.2023 द्वारा प्रदेश के उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बस्ता रहित दिवसों के संचालन के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अध्याय-4 'स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षणशास्त्र' के अनुच्छेद 4.26 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन दस्तावेज सार्थक के टास्क संख्या-92 में की गई अनुशंसा के क्रम में प्रदेश के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिवर्ष 10 बस्ता रहित दिवसों के संचालन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देश पारित करते हैं:-

1. बस्ता रहित दिवसों के उद्देश्य-

- बस्ते के बोझ को कम करना।
- गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में निहित प्रतिभाओं का समुचित विकास करना।
- छात्रों में स्थानीय व्यवसायों तथा हस्तशिल्प का कौशल विकसित करना।
- छात्रों में श्रम के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना।

2. कक्षा 06 से 12 के सभी छात्र 10 बस्ता रहित दिवसों में प्रतिभाग करेंगे, जिसमें वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे कृषक, बुनकर, कुम्हार, स्थानीय कलाकार आदि से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार सभी छात्रों को अवकाश दिवसों में विभिन्न व्यावसायिक विषयों को सीखने के अवसर उपलब्ध करावाये जा सकते हैं।

2- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एवं नीति के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश 'SARTHAQ' के क्रम में प्रदेश के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिवर्ष 10 बस्ता रहित दिवसों के संचालन के सम्बन्ध में उक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में यथावश्यकतानुसार दिशा-निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय,

Signed by Ranjana Rajguru

Date: 11-01-2024 14:25:21

(रंजना राजगुरु)

अपर सचिव

संख्या- 181549 / XXIV-B-1 / 24-31(01) / 2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Anil Kumar

Pandey

Date: 11-01-2024 16:01:17

(अनिल कुमार पाण्डे)

उप सचिव